

**अनुदान संख्या 30 - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**  
**GRANT No. 30-MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)					
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	1377,27,00	1377,35,00	1227,16,49	-150,18,51
पूरक	Supplementary	8,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				126,92,44

<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	10,92,00	29,33,00	27,35,40	-1,97,60
पूरक	Supplementary	18,41,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,36,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (15018.51 लाख रु.) अगस्त, 2005, दिसम्बर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 8.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.15018.51 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.8.00 lakhs obtained in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 and constituted 11 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)					
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '2406'	Major Head "2406"				
वानिकी तथा वन्य प्राणी	Forestry and Wild Life				
मू.	O.	41828.00	43195.56	42956.69	-238.87
पू.	S.	4.00			
पु.	R.	1363.56			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	12350.00	..	..
पु.	R.	-12350.00	..	..
मुख्य शीर्ष '3435'' परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment			
मू.	O.	71966.00		
पू.	S.	2.00	64028.00	62470.40
पु.	R.	-7940.00		-1557.60
मुख्य शीर्ष '3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	10420.00		
पू.	S.	1.00	16593.00	16091.05
पु.	R.	6172.00		-501.95
(I) 12354.50 लाख रु. का प्रावधान (1.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 12350.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।			(I) Provision of Rs.12354.50 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.50 lakhs) remained wholly unutilised under the seven heads; of these Rs.12350.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Other Expenditure-Lumpsum Provision for Projects/Schemes of North Eastern Region including Sikkim" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.	
(II) मुख्य शीर्ष "2406" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-			(II) Under Major Head "2406" - savings occurred under the following heads:-	
(का) 'वानिकी - अनुसंधान - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद' - 179.92 लाख रु. की बचत (0.50			(A) "Forestry - Research - Indian Council of Forestry Research and Education" - saving of Rs.179.92 lakhs (against the total sanctioned	

लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1211.20 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण” -

(क) “भारतीय वन्य जीव संस्थान” - 110.00 लाख रु. की बचत (1096.54 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शासी निकाय द्वारा प्रस्तावों को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(ख) “पशुओं का कल्याण” - 295.72 लाख रु. की बचत (1964.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) “विशेष कार्यों के लिए वन्य जीव प्रभाग और परामर्शदात्रियों का सुदृढ़ीकरण” - 168.54 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड” - 800.59 लाख रु. की बचत (2150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने की वजह से राज्य सरकारों को सहायता अनुदान कम जारी किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3435” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “सर्वेक्षण (वानस्पतिक) - अनुसंधान - क्षेत्रीय कार्यालय” - 114.22 लाख रु. की बचत ( 724.96 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घरेलू दौड़ों पर कम व्यय किए जाने, उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होनेकी वजह से सहायता अनुदान कम जारी किए जाने कारण हुई।

(खा) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुदभवण” -

provision of Rs.1211.20 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh) was due to non-filling of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage.

(B) “Environmental Forestry and Wildlife – Wildlife Preservation”-

(a) “Wildlife Institute of India” – saving of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1096.54 lakhs) was due to late-approval of proposals by the governing body.

(b) “Welfare of Animals” – saving of Rs.295.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1964.90 lakhs);

(c) “Strengthening of Wildlife Division and Consultancies for Special Tasks” – saving of Rs.168.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(C) “Afforestation and Eco-Development – National Afforestation and Eco-Development Programme – National Afforestation and Eco-Development Board” - saving of Rs.800.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2150.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to less release of grants-in-aid to the State Governments owing to non-receipt of utilisation certificates and economy measures.

(III) Under Major Head “3435” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Survey (Botanical) – Research - Regional Offices”- saving of Rs.114.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.724.96 lakhs) was due to less expenditure on domestic tours, less release of grants-in-aid owing to non-receipt of utilisation certificates.

(B) “Environment Research and Ecological Regeneration”-

- (क) 'पर्यावरणीय/शैक्षिक प्रशिक्षण/विस्तार - राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय' - 152.58 लाख रु. की बचत (668.28 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, घरेलू दौरों पर कम व्यय होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ख) 'पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय - उत्कृष्टता केंद्र' - 173.97 लाख रु. की बचत (888.92 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई और
- (गा) 'प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण' -
- (क) 'राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण' -
- (i) 'राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम' - 1178.00 लाख रु. की बचत (6800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (ii) 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम' - 6713.61 लाख रु. की बचत (34750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब होने की वजह से कुछ राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति होने, कुछ राज्यों में कम लागत पर कार्य पूरा होने, घरेलू दौरों पर कम व्यय किए जाने और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने की वजह से राज्यों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।
- (ख) 'वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण - पर्यावरण प्राधिकरणों की स्थापना' - 178.08 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घरेलू दौरों पर कम व्यय होने, कम सहायता अनुदान जारी किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (a) "Environmental/Education Training/Extension- National Museum of Natural History" - saving of Rs.152.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.668.28 lakhs) was due to non-filling of vacant posts, less expenditure on domestic tours and economy measures.
- (b) "Environmental Planning and Co-ordination – Centres of Excellence" – saving of Rs.173.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.888.92 lakhs); and
- (C) "Prevention and Control of Pollution"-
- (a) "Prevention of Pollution of National Rivers"-
- (i) "National Lake Conservation Programme" - saving of Rs.1178.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6800.00 lakhs).
- (ii) "National River Conservation Programme"- saving of Rs.6713.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.34750.00 lakhs) was due to slow progress of work in few states owing to delay in land acquisition process by project implementing agencies, completion of work at a lesser cost in some states, less expenditure on domestic tours, and less release of funds to states owing to non-receipt of utilisation certificates.
- (b) "Prevention of Air and Water Pollution"- Establishment of Environment Authorities" - saving of Rs.178.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to less expenditure on domestic tours, release of less grants-in-aid and economy measures.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें घरेलू दौरों पर कम व्यय किए जाने और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने की वजह से राज्य सरकारों को सहायता अनुदान कम जारी किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less expenditure on domestic tours and less release of grants-in-aid to the State Governments owing to non-receipt of utilisation certificates.

(घा) “अन्य - अन्य व्यय” -

(क) “भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पर्यावरण सहायता कार्यक्रम” - 361.63 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने की वजह से राज्य सरकार को सहायता अनुदान कम जारी किए जाने के कारण हुई।

(ख) “सूचना प्रौद्योगिकी” - 446.74 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वृद्ध ई-गवर्नेंस के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम” के अंतर्गत 213.93 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने की वजह से राज्य सरकारों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(V) पांच शीर्षों के अंतर्गत 380.25 लाख रु. की बचेतहुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक थीं।

2.(1) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5960.11 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 8.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष “2406” -

(क) “वानिकी” -

(i) “अनुसंधान - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद” - 457.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 456.50 लाख रु. था।

(D) “Others – Other Expenditure” -

(a) “Government of India – United Nations Development Programme (GOI-UNDP) Environment Support Programme” - saving of Rs.361.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to less release of grants-in-aid to State Government owing to non-receipt of utilisation certificates.

(b) “Information Technology” - saving of Rs.446.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-appointment of consultants for comprehensive e-Governance.

(IV) Under Major Head “3601” - “Grants for Central Plan Schemes - Afforestation and Eco-Development – National Afforestation and Eco-development Programme – National Afforestation Programme” - saving of Rs.213.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to less release of funds to State Governments owing to non-receipt of utilisation certificates.

(V) Under five heads savings of Rs.380.25 lakhs occurred each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 11 percent to 88 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above saving were partly (Rs.5960.11 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.8.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head “2406” -

(a) “Forestry” -

(i) “Research – Indian Council of Forestry Research and Education” - Rs.457.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.456.50 lakhs.

- (ii) 'वन संरक्षण, विकास और पुनरुदभवन - एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम' - 83.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 75.92 लाख रु. था।
- (ख) 'पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - अन्य स्कीमें' - 173.11 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 170.94 लाख रु. था।
- (ग) 'वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम' - 1498.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1449.98 लाख रु. था।
- (खा) मुख्य शीर्ष "3601" -
- (क) 'केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुदभवन - एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम' - 3254.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3254.47 लाख रु. था।
- (ख) 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव परिरक्षण- परियोजना शेर - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सहायता' - 495.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 347.77 लाख रु. था।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-
- (का) मुख्य शीर्ष "2406" -
- (क) 'वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद' - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) 'पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - केंद्रीय प्राणिउद्यान प्राधिकरण' - 335.94 लाख रु. का अधिक व्यय (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) "Forest Conservation, Development and Regeneration - Integrated Forest Protection Scheme" - Rs.83.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.75.92 lakhs.
- (b) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation - Other schemes"- Rs.173.11 lakhs. Actual excess, however, was Rs.170.94 lakhs.
- (c) "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme" - National Afforestation Programme" - Rs.1498.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1449.98 lakhs.
- (B) Major Head "3601" -
- (a) "Grants for Central Plan Schemes - Forestry - Forest Conservation Development and Regeneration - Integrated Forest protection Scheme"- Rs.3254.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3254.47 lakhs.
- (b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Environmental Forestry and Wildlife Preservation - Project Tiger - Assistance to National Parks and Sanctuaries" - Rs.495.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.347.77 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (A) Major Head "2406" -
- (a) "Forestry - Education and Training - Indian Council of Forestry Research and Education" - excess of Rs.200.00 lakhs (against nil provision);
- (b) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation - Central Zoo Authority" - excess of Rs.335.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs);

(ग) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान - 348.62 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुदभवन - मुली बासों का वृन्द पुष्पण" - 1782.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - प्राणियुद्धान - राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता" - 435.59 लाख रु. का अधिक व्यय (4800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 151.35 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत और 29 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (197.60 लाख रु.) अगस्त, 2005 और दिसम्बर, 2005 में प्राप्त किए गए 1841.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(c) "Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme - Grants-in-aid to Voluntary Agencies" - excess of Rs.348.62 lakhs (against nil provision);

(B) Major head "3601" -

(a) "Grants for Central Plan Schemes - Forestry - Forest Conservation Development and Regeneration - Gregarious Flowering of Muli Bamboos" - excess of Rs.1782.00 lakhs (against nil provision); and

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Environmental Forestry and Wildlife - Zoological Park- Assistance for Development of National Park" - excess of Rs.435.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4800.00 lakhs).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under two heads excess of Rs.151.35 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 25 percent and 29 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.197.60 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grants of Rs.1841.00 lakhs obtained in August, 2005 and December, 2005 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '5425'	Major Head "5425"				
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	852.00			
पू.	S.	1.00	703.00	638.35	-64.65
पु.	R.	-150.00			

(I) "पारिस्थितिकी और पर्यावरण - नए सिविल निर्माण कार्य" के अंतर्गत 258.92 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 651.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाताओं द्वारा परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से भारतीय गणराज्य वानस्पतिक उद्यान, नोएडा के संबंध में कार्य शुरू न किए जाने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(I) Under "Ecology and Environment – New Civil Works" – saving of Rs.258.92 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.651.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non-taking up of work in respect of Botanical Garden of Indian Republic, Noida owing to non-finalisation of project by consultants and non-filling up of vacant posts.